न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 57/2024

अनवान : –

1. बिरजाराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बालासर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. कमला पत्नी हुश्यारी जाति बावरी निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू।
2. कैलाश पत्नी राजुराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
3. परमेश्वरी पत्नी देवीलाल जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
4. सोहनलाल पुत्र गुगनराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
5. हनुमान पुत्र गुगनराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
6. हरिराम पुत्र गुगनराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
7. हुश्यारीलाल पुत्र मालाराम जाति बावरी निवासी बालासर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उपं पजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल 2, 4**

निर्णय दिनांकः – 27/5/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 339/40 की कुल 9.0670 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायलान का खाता मुश्तरका है गैरसायलान मुश्तरका खाता की भूमि में आबादी की चिपती भूमि में बिना संपरिवर्तन करवायें प्लॉट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बेचान करना चाहते है इसलिए सायल विवाद को टालने की गर्ज से मुताबिक किस्म खाता व लगान अलग अलग तकसीम करवाना चाहते है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की बिना खाता विभाजन करवाये भूमि को रहन, बैय व निर्माण न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 339/40 की कुल 9.0670 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की [illegible] भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं निर्माण कार्य न करे। अप्रार्थीगण [illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5 ता 7 को सम्यक [illegible] के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1, 3, 5 ता 7 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। [illegible] संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व 4 की तरफ से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं गैरसायलान मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के उक्त वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है। उक्त वाद भूमि का छोटे छोटे टूकड़ों में बेचान नही किया गया है वादग्रस्त भूमि काबिल काश्त भूमि है वादग्रस्त भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो गैरसायलान उत्तरदाता को कोई ऐतराज नही है। गैरसायल संख्या 2 द्वारा गैरसायल संख्या 4 के कब्जा काश्त की भूमि में से 0.7843 हैक्ट भूमि समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है। सायल द्वारा गैरसायल के नामान्तरण की कार्यवाही रूकवाने एवं मनगढ़त आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायल व गैरसायलान का खाता मुश्तरका है गैरसायलान मुश्तरका खाता की भूमि में आबादी की चिपती भूमि में बिना संपरिवर्तन करवायें प्लॉट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बेचान करना चाहते है इसलिए गैरसायलान को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की बिना खाता विभाजन करवाये भूमि को रहन, बैय व निर्माण न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। गैरसायलान मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के उक्त वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है। उक्त वाद भूमि का छोटे छोटे टूकड़ों में बेचान नही किया गया है वादग्रस्त भूमि काबिल काश्त भूमि है वादग्रस्त भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो गैरसायलान उत्तरदाता को कोई ऐतराज नही है। गैरसायल संख्या 2 द्वारा गैरसायल संख्या 4 के कब्जा काश्त की भूमि में से 0.7843 हैक्ट भूमि समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है। सायल द्वारा गैरसायल के नामान्तरण की कार्यवाही रूकवाने एवं मनगढ़त आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 339/40 की कुल 9.0670 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार [illegible]4 में 2–3 पुराने मकान बने हुए है एवं शेष भूमि कृषि के लिए काम मे [illegible] द्वारा रजिस्टर्ड बैयमाना की चित्रप्रति जो की उप पंजीयक नोहर में [illegible] चित्रप्रति प्रस्तुत की गई है जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 4 से 0.7840 हैक्ट भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर खरीद की है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 से खरीद की हुई भूमि का नामान्तरण दर्ज होने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को तथा पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक भी ख0न0 44 की वाद भूमि में 2–3 मकान बने है एवं शेष भूमि कृषि के लिए काम में ली जा रही है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 27.03.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:54 IST
Reason: SelfAttested